F-07-11



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र **CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन **DEFENCE R&D ORGANISATION** भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय **GOVERNMENT OF INDIA** MINISTRY OF DEFENCE मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु MARATHAHALLI COLONY P.O.,

BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 903 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 903 विषय/Sub: मार्टेन्सिटिक स्टैनलेस स्टील एमडीएन 431ए फोर्जड एण्ड हॉट रोल्ड बार्स/ Martensitic Stainless Steel MDN 431A Forged & Hot Rolled Bars

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, कंचनबाग पी.ओ, हैदराबाद – 500 058 द्वारा विकसित और उत्पादित, "मार्टेन्सिटिक स्टैनलेस स्टील एमडीएन 431ए " फोर्जड और हॉट रोल्ड बार्स को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-903, दिनांक 24 अप्रैल 2001, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 903 जारी किया गया था और संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-903/2आर, दिनांक 21 मई 2009 द्वारा नवीकरण किया गया था जो कि 30 जून 2014 तक वैध था।

This is to state that the "Martensitic Stainless Steel MDN 431A", Forged and Hot Rolled Bars, developed and manufactured by M/s. Mishra Dhatu Nigam Limited, Kanchanbagh P.O, Hyderabad – 500 058, was issued with Type Approval No. 903 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-903, dated: 24th April 2001 and was subsequently renewed vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-903/2R, dated: 21st May 2009 and was valid upto 30th June 2014.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2015 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2019 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (मेटीरियल्स), हैदराबाद – 500 058, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगीं।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01^{st} Feb 2015 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st Dec 2019 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Materials), Hyderabad – 500 058, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/ CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 903/3R

दिनांक/Date: 13 Feb 2015 फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

पी जयपाल / P.JAYAPAL मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)